converted into free-hold and 46 cases are pending.

(c) The pendency was on account of finalisation of the formula for revision of the ground rent. The instruction in this regard have been issued on 29.6.98 and pending cases will be disposed off within a time-frame.

Formulating New Housing and Habitat Policy

2269. MISS FRIDA TOPNO: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have worked out a scheme similar to VDIS to channelise black money into housing;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government also propose to replace the existing National Housing Policy with a new Housing and Habitat Policy; and

(d) if so, by when, it is likely to be placed before the Parliament?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) and (b) No such scheme has been worked out so far. However, some of the participants in the Housing Ministers' Conference held on 8th/9th June, 1998 made such a recommendation.

(c) Yes, Sir. The National Agenda for Governance envisages formulation of a new Housing and Habitat Policy. Among other things this draft Policy would also ensure that the target of providing shelter to all by construction of additional 20 lakh dwelling units per year, is achieved.

(d) The draft National Housing and Habitat Policy has been formulated and will be placed before the Parliament after the approval of the Cabinet.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन में अत्यधिक विलम्ब

2270. श्री चुन्नी लाल चौधरी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवासों/फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस तरह के आवास/फ्लैट लगभग 15 साल तक नहीं मिल पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे आवासों/फ्लैटों के पंजीकरण और आवंटन की अवधि के बीच कीमतों में लगभग चार गुना वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, हां। न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 में एक आई जी/एम आई जी के लिए पंजीकरण कराने वालों को फ्लैट आबंटित किया जाना अभी बाकी है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) बड़ी संख्या में पंजीकरण हुआ है।

(2) फ्लैट निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता।

(3) बुनियादी सुविधाओं जैसे सीवरेज, पेयजल, बिजली की अनुपलब्धता।

(4) भवन सामग्रियों की कमी।

(5) न्यायालय मामले आदि।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित स्कीम के ब्रोशर में दर्शाई गई कीमतें केवल निदर्शी थी। फ्लैट की वास्तविक लागत फ्लैट के आबंटन के समय तथा मांग पत्र जारी करते समय भवन सामग्रियों, भूमि, श्रम आदि की प्रचलित कीमतों पर निर्भर करती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण "बिना लाभ/हानि आधार पर फ्लैट आबंटित करता है। और अपनी आवास स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए उसे सरकार से अनुदान नहीं मिलता है।